


उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-9  
संख्या- 803/नौ-9-16-163ज/2010  
लखनऊ : दिनांक 13 जून, 2016

कार्यालय ज्ञाप


उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-11, सन् 2011) की धारा 6 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल कु० रेखा गुप्ता, निवासी-मकान नं०-2/69 विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पद पर कु० रेखा गुप्ता अपने पद ग्रहण के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि तक अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक, जो भी पहले हो, रहेंगी। कु० रेखा गुप्ता अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य पद को धारित नहीं करेंगी। वेतन और भत्तों सहित उनकी सेवा की निबन्धन एवं शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि शासन द्वारा विहित की जायें।

  
श्री प्रकाश सिंह  
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महामहिम श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश।
  2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
  3. निजी सचिव, मा० मंत्री, नगर विकास विभाग, उ० प्र० शासन।
  4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन / अध्यक्ष, उ० प्र० नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
  5. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ० प्र० शासन।
  6. कु० रेखा गुप्ता, निवासी-मकान नं०-2/69 विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
  7. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ० प्र०।
  8. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
  9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ० प्र०, लखनऊ।
  10. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
  11. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
  12. गार्ड फाइल / वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,  
  
( सुधीर सिंह चौहान )  
संयुक्त सचिव।